NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 24-07-2026

विषय सूची

दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के अंतर्गत निवारक निरोध शक्तियों का विस्तार

त्वरित न्यायालय (Fast-Track Courts - FTCs)

भारत में मानव तस्करी

सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों में ढील दी

आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों (Virtual Digital Assets) के लिए एक नियामक ढाँचे की आवश्यकता

विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति (SOFI) 2026

संक्षिप्त समाचार

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

चन्द्रशेखर आज़ाद

अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ असैन्य परमाणु समझौते की घोषणा की

निःशस्त्र एवं निरस्त्रीकरण आधारित शांति के लिए रोम घोषणा

मिशन गोल्डन स्पाइस

बोरोफीन-आधारित हरित स्नेहक

कुटकी

दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के अंतर्गत निवारक निरोध शक्तियों का विस्तार

सन्दर्भ

- हाल ही में, दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने **राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 की धारा 3(2)** के अंतर्गत **दिल्ली पुलिस आयुक्त** को निवारक निरोध (Preventive Detention) की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 का परिचय

- यह एक **निवारक निरोध कानून** है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की रक्षा, लोक व्यवस्था तथा आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं अनुरक्षण की रक्षा के लिए व्यक्तियों को निरुद्ध करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों को अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।
- यह कानून अधिकारियों को **भविष्य में संभावित खतरों को रोकने का अधिकार देता है, न कि पूर्व में किए गए अपराधों के लिए दंडित करने का।**

एनएसए (NSA) के अंतर्गत निवारक निरोध

- **निवारक निरोध** का अर्थ है किसी व्यक्ति को ऐसे भावी कृत्यों को रोकने के लिए निरुद्ध करना, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए हानिकारक माना जाता है।
- सामान्य आपराधिक कानून के अंतर्गत गिरफ्तारी की भाँति निरुद्ध व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होता।

एनएसए (NSA) की प्रमुख विशेषताएँ

- **निरोध अवधि:** प्रारंभ में अधिकतम 3 माह तक, जिसे समीक्षा के बाद 12 माह तक बढ़ाया जा सकता है।
- **निरोध के आधार:** यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, विदेश संबंधों अथवा आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं अनुरक्षण के प्रतिकूल गतिविधियों को रोकने के लिए निरोध आवश्यक है, तो वे किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर सकते हैं।
- **सलाहकार बोर्ड**: प्रत्येक निरोध आदेश की समीक्षा ऐसे सलाहकार बोर्ड द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति करता है।
- बोर्ड यह परीक्षण करता है कि निरंतर निरोध के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं या नहीं।
- **अभ्यावेदन (Representation):** निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है।
- किंतु यदि तथ्यों का प्रकटीकरण लोकहित के विरुद्ध हो, तो सरकार उन्हें प्रकट करने से इंकार कर सकती है।

संवैधानिक आधार

- **अनुच्छेद 22:** मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है, किंतु निवारक निरोध को एक अपवाद के रूप में स्वीकार करता है।

प्रमुख संवैधानिक सुरक्षा उपाय:

- गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देना।
- अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार।
- निर्धारित समय सीमा के भीतर सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा।

निवारक निरोध बनाम दंडात्मक निरोध

निवारक निरोध	दंडात्मक निरोध
संभावित अपराधों को रोकता है।	पहले से किए गए अपराधों के लिए दंड देता है।
प्रारंभ में आपराधिक मुकदमे की आवश्यकता नहीं होती है।	आपराधिक जाँच एवं न्यायिक विचारण पर आधारित होता है।
उद्देश्य रोकथाम है।	उद्देश्य दंड देना है।
निवारक निरोध संबंधी कानूनों द्वारा संचालित है।	दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) अथवा लागू होने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) द्वारा संचालित।

एनएसए (NSA) से संबंधित मुद्दे एवं चिंताएँ

- **दुरुपयोग का जोखिम:** कार्यपालिका को प्राप्त व्यापक शक्तियों के कारण मनमाना अथवा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित निरोध हो सकता है।
- **व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभाव**: बिना मुकदमे के निरोध, अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है।
- **सीमित न्यायिक निगरानी:** निवारक निरोध के मामलों में व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता, जिससे तत्काल न्यायिक परीक्षण सीमित हो जाता है।
- **दीर्घकालीन निरोध की संभावना**: सलाहकार बोर्ड की समीक्षा के अधीन किसी व्यक्ति को 12 माह तक निरुद्ध रखा जा सकता है।
- **पारदर्शिता का अभाव**: कुछ मामलों में लोकहित का हवाला देकर निरोध के कारणों का खुलासा नहीं किया जाता, जिससे निरुद्ध व्यक्ति के लिए आदेश को प्रभावी ढंग से चुनौती देना कठिन हो जाता है।

- **सुरक्षा एवं अधिकारों के बीच संतुलन**: राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हुए लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं एवं नागरिक अधिकारों का संरक्षण एक सतत संवैधानिक चुनौती बना हुआ है।

आगे की राह

- **अनुच्छेद 22** के अंतर्गत प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों का अक्षरशः एवं भावनानुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
- निवारक निरोध संबंधी कानूनों की समय-समय पर **विधायिका एवं न्यायपालिका द्वारा समीक्षा** की जाए।
- निवारक निरोध का प्रयोग **केवल असाधारण परिस्थितियों** में तथा पर्याप्त निगरानी के साथ किया जाए।
- राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए **पारदर्शिता, जवाबदेही तथा अनुपातिकता के सिद्धांतों** को बढ़ावा दिया जाए।

स्रोत: IE

फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट (FTCs)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने प्रश्नपत्र लीक मामलों में शामिल दोषियों के शीघ्र विचारण तथा कठोर दंड सुनिश्चित करने के लिए **फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स (FTCs)** स्थापित करने की घोषणा की।

फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स (FTCs)

- फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स विशेष न्यायालय हैं, जिन्हें लंबे समय से लंबित मामलों, विशेषकर जघन्य अपराधों तथा संवेदनशील वर्गों के विरुद्ध अपराधों के **शीघ्र विचारण एवं निपटान** के लिए स्थापित किया जाता है।
- इनसे नियमित **अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का भारी बोझ कम** करने तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है।

फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स से संबंधित कानून एवं विनियम

- भारत में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स (FTCs) को संचालित करने वाला **कोई एकल कानून नहीं** है।
- विशिष्ट वर्गों के लिए समर्पित न्यायालय स्थापित करने की पहल **चौदहवें वित्त आयोग (2015–2020) की** सिफारिशों से हुई, जिसने **हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे जघन्य अपराधों तथा पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित संपत्ति विवादों** के शीघ्र निपटान हेतु 1,800 त्वरित न्यायालय स्थापित करने की अनुशंसा की थी।
- आयोग ने **महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों जैसे संवेदनशील वर्गों से संबंधित मामलों के लिए** भी इन न्यायालयों की सिफारिश की।

संशोधन

- **वर्ष 2019 में,** आपराधिक कानूनों में संशोधन तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs) स्थापित करने हेतु **एक केंद्र प्रायोजित योजना** प्रारंभ की।
- **निर्भया निधि से आंशिक रूप से वित्तपोषित** ये विशेष न्यायालय विशेष रूप से बलात्कार के मामलों तथा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण **(POCSO) अधिनियम** के अंतर्गत आने वाले मामलों के समयबद्ध विचारण के लिए समर्पित हैं।

फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए समय-सीमा

- भारत में वादकारियों को किसी निश्चित समय-सीमा के भीतर मुकदमे के निपटान का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
- हालांकि, **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के** अनुसार आपराधिक मुकदमों का आदर्श रूप से दो वर्ष के भीतर तथा यौन अपराधों से संबंधित मामलों का दो माह के भीतर निपटारा किया जाना चाहिए।
- **फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs)** की **केंद्र प्रायोजित योजना** के अंतर्गत प्रत्येक न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह **प्रति तिमाही 41–42 मामलों अथवा प्रति वर्ष कम-से-कम 165 मामलों का निपटान करे।**

न्यायिक टिप्पणियाँ

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स अथवा स्पेशल कोर्ट्स को **अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का पालन करना होगा।**
- **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952)** मामले में न्यायालय ने कहा कि केवल शीघ्र विचारण के उद्देश्य से मामलों को विशेष न्यायालयों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए अपराध की प्रकृति या पीड़ितों की संवेदनशीलता जैसे युक्तिसंगत एवं वस्तुनिष्ठ आधार होने चाहिए।
- हालांकि, बाद के मामलों में न्यायालयों ने सत्यम घोटाला तथा **2G स्पेक्ट्रम मामला** जैसे अत्यधिक सार्वजनिक महत्त्व के मामलों में शीघ्र विचारण हेतु विशेष न्यायालयों की अनुमति दी।
- **पी.रामचन्द्र राव बनाम कर्नाटक राज्य (2002)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीशीय संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि सभी आपराधिक मुकदमों के निपटान के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

- न्यायालय ने कहा कि **केवल विलंब के आधार पर आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं की जा सकती।**
- न्यायालय ने यह भी कहा कि अनिवार्य समय-**सीमा निर्धारित करना न्यायिक विधिनिर्माण** होगा, जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

प्रगति

- जनवरी 2026 तक **21 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 862 नियमित फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स (FTCs)** कार्यरत थे।
- इनके साथ **29 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 774 फ़ास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSCs), जिनमें 398 विशिष्ट पॉक्सो (POCSO) कोर्ट्स शामिल** हैं, कार्यरत थे।
- इन स्पेशल कोर्ट्स की **निपटान दर लगभग 96%** है, अर्थात् मामलों का या तो विचारण हुआ अथवा उनका निस्तारण किया गया।
- **वर्ष 2024** में **FTSCs में 88,902 नए मामले** दर्ज हुए, जबकि 85,**595 मामलों का निपटान** किया गया।
- औसतन, **एक FTSC प्रति माह लगभग 9.5 मामलों का निपटान करता** है, जो समान अधिकारिता वाले एक नियमित विचारण न्यायालय द्वारा **प्रति माह निपटाए जाने वाले 3.3 मामलों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है।**

मुद्दे एवं चुनौतियाँ

- उच्च निपटान दर के बावजूद, मुकदमों की बड़ी संख्या के कारण लंबित मामलों की समस्या बनी हुई है।
- 2023 के अंत तक **FTSCs में 2.4 लाख से अधिक मामले लंबित** थे।
- न्यायिक विलंब के प्रमुख कारणों में **अपर्याप्त आधारभूत संरचना, जटिल मामले, कमजोर जाँच, अपर्याप्त न्यायालयिक विज्ञान (फोरेंसिक) सहायता, न्यायाधीशों की कमी** तथा प्रक्रियागत अक्षमताएँ शामिल हैं।
- विधि विशेषज्ञों का मानना है कि **पर्याप्त आधारभूत संरचना एवं न्यायिक क्षमता के बिना** केवल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स न्यायिक लंबित मामलों की समस्या का समाधान नहीं कर सकते।
- यद्यपि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों में FTCs सफल रहे हैं, किंतु **पॉक्सो (POCSO) तथा अन्य आपराधिक मामलों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों एवं विशिष्ट न्यायाधीशों की अनुपलब्धता के कारण उनकी प्रभावशीलता सीमित** रही है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स (FTCs) **प्राथमिकता वाले मामलों में शीघ्र न्याय प्रदान** करने तथा न्यायिक लंबित मामलों को कम करने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हैं, जिससे "**विलंबित न्याय, न्याय से वंचित करना है**" के सिद्धांत को सार्थक बनाया जा सकता है।
- इनकी सफलता के लिए **पर्याप्त आधारभूत संरचना, पर्याप्त न्यायिक मानव संसाधन, गुणवत्तापूर्ण जाँच, सुदृढ़ न्यायालयिक विज्ञान (फोरेंसिक) सहायता**, प्रौद्योगिकी का समेकन तथा प्रक्रियागत दक्षता आवश्यक है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि शीघ्र न्याय, निष्पक्षता की कीमत पर न हो, न्यायिक एवं **संस्थागत सुधारों का एक व्यापक कार्यक्रम** आवश्यक है, जिससे समयबद्ध एवं निष्पक्ष न्याय के संवैधानिक वादे को पूरा किया जा सके।

स्रोत: IE

भारत में मानव तस्करी

सन्दर्भ

- ओडिशा सरकार ने राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं की तस्करी से निपटने के लिए **'नूतन सकाल (Nutan Sakala – नया सवेरा)'** नामक एक व्यापक राज्य नीति का प्रस्ताव रखा है।

परिचय

- यह रूपरेखा **चार प्रमुख स्तंभों**—रोकथाम, संरक्षण, अभियोजन तथा साझेदारी—पर आधारित है, ताकि समन्वित एवं व्यापक प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
- नीति में विशेष रूप से संवेदनशील समुदायों, विद्यालयों, पंचायतों तथा डिजिटल माध्यमों में जीवन-कौशल शिक्षा, माँग-नियंत्रण पहल तथा ग्राम प्रवासन रजिस्टर जैसे सामुदायिक साधनों के माध्यम से तस्करी को उसके स्रोत पर ही रोकने का प्रस्ताव है।
- **एकीकृत पीड़ित सहायता केंद्र (Integrated Victim Support Centres - IVSCs)** स्थापित किए जाएंगे, जो चिकित्सा सुविधा, विधिक सहायता, मनोसामाजिक परामर्श तथा रेफरल सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएँगे।
- **नूतन सकाल कोष (Corpus Fund)** तस्करी-रोधी उपायों एवं पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक समर्पित एवं अव्यय (Non-lapsable) वित्तीय व्यवस्था के रूप में कार्य करेगा।

भारत में मानव तस्करी

- भारत **मानव तस्करी का स्रोत तथा गंतव्य**, दोनों प्रकार का देश है। वर्ष **2018 से 2022** के बीच भारत में मानव तस्करी के 10,659 मामले दर्ज किए गए।
- **नेपाल, बांग्लादेश एवं म्यांमार** प्रमुख स्रोत देश हैं, जहाँ से महिलाओं एवं बालिकाओं को बेहतर जीवन, रोजगार एवं बेहतर जीवन-स्थितियों का प्रलोभन देकर भारत लाया जाता है।

NEXT IAS

- **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** के आँकड़ों एवं **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)** की अधिसूचनाओं के अनुसार ओडिशा, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में मानव तस्करी के सर्वाधिक मामले दर्ज होते हैं।

मानव तस्करी के कारण

- **गरीबी**: गरीबी में जीवनयापन करने वाले व्यक्ति एवं परिवार तस्करों द्वारा बेहतर अवसर एवं आजीविका के झूठे वादों का आसानी से शिकार बन जाते हैं।
- **जागरूकता का अभाव**: निम्न साक्षरता एवं सीमित जागरूकता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, लोगों को धोखाधड़ी एवं शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।
- **प्रवास**: अनियमित आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से ऐसे अवसर उत्पन्न होते हैं, जिनका लाभ उठाकर तस्कर अपने सामाजिक समर्थन तंत्र से दूर लोगों को निशाना बनाते हैं।
- **कमज़ोर कानून-प्रवर्तन**: कानून-प्रवर्तन एजेंसियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण एवं भ्रष्टाचार, तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण की चुनौती को और बढ़ा देते हैं।

भारत में संवैधानिक सुरक्षा

- **अनुच्छेद 23:** मानव तस्करी एवं बेगार (बलात् श्रम) का निषेध करता है।
- **अनुच्छेद 21:** जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसकी व्याख्या गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के रूप में भी की गई है।
- **अनुच्छेद 39(ई):** राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग न हो तथा नागरिकों को उनकी आयु एवं क्षमता के प्रतिकूल कार्य करने के लिए विवश न किया जाए।

भारत में विधिक सुरक्षा

- **यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012:** बच्चों को यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार से संरक्षण प्रदान करता है।
- **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015:** देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संरक्षण, उपचार एवं पुनर्वास का ढाँचा प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) अधिनियम** में वर्ष 2019 में संशोधन कर मानव तस्करी को भी इसकी जाँच के दायरे में शामिल किया गया।
- **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (ITPA):** व्यावसायिक यौन शोषण के उद्देश्य से होने वाली तस्करी की रोकथाम हेतु प्रमुख कानून है।
- **आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013:** मानव तस्करी, विशेषकर किसी भी प्रकार के शोषण के लिए बच्चों की तस्करी से निपटने हेतु व्यापक प्रावधान करता है।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023** की **धारा 143 से 146** तक मानव तस्करी, दास व्यापार तथा अवैध अनिवार्य श्रम के विभिन्न रूपों के लिए दंडात्मक प्रावधान करती हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र अभिसमय**: भारत ने अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCTOC) का अनुमोदन किया है, जिसके एक प्रोटोकॉल का उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों की मानव तस्करी की रोकथाम, दमन एवं दंड सुनिश्चित करना है।
- **सार्क अभिसमय**: भारत ने वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी सार्क अभिसमय का भी अनुमोदन किया है।

न्यायिक हस्तक्षेप

- **प्रज्वला बनाम भारत संघ मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यावसायिक एवं यौन शोषण के उद्देश्य से तस्करी के पीड़ितों के लिए एक व्यापक पीड़ित संरक्षण योजना तैयार की।
- **विशालजीत बनाम भारत संघ (1990) मामले** में सर्वोच्च न्यायालय ने बाल वेश्यावृत्ति एवं मानव तस्करी को गंभीर सामाजिक-आर्थिक बुराई माना तथा संवेदनशील महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए निवारक एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया।

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC)

- यह अवैध मादक पदार्थों एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर अग्रणी संस्था है तथा संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद-रोधी प्रमुख कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है।
- इसकी **स्थापना 1997** में हुई तथा इसका **मुख्यालय वियना (ऑस्ट्रिया)** में स्थित है।
- यूएनओडिसी (UNODC) अपने अधिकांश कार्यों के लिए मुख्यतः सरकारों द्वारा दिए जाने वाले **स्वैच्छिक अंशदान** पर निर्भर करता है।
- **यूएनओडिसी (UNODC) रणनीति 2021–2025** मानवाधिकारों, लैंगिक समानता एवं दिव्यांगजन समावेशन को बढ़ावा देने, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा युवाओं की परिवर्तनकारी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्रोत: TH

सरकार द्वारा ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों में ढील

सन्दर्भ

- सरकार ने ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों में ढील देते हुए विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष रूप से इन्वेंटरी-आधारित मॉडल के संचालन की अनुमति** दी है।

प्रमुख बिंदु

- भारत ने अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों में संशोधन करते हुए विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को भारतीय विक्रेताओं से सीधे उत्पाद खरीदकर उन्हें विदेशी ग्राहकों को निर्यात करने की अनुमति दी है।
- पहले सरकारें विदेशी निवेश वाली मार्केटप्लेस (Marketplace) कंपनियों और इन्वेंटरी-आधारित ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखती थीं, ताकि लाखों छोटे खुदरा व्यापारियों एवं कारोबारियों के हितों की रक्षा की जा सके।
- वर्तमान नियमों के अनुसार विदेशी निवेश वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल मार्केटप्लेस मॉडल पर कार्य करने की अनुमति थी।
- मार्केटप्लेस मॉडल में ऑनलाइन मंच केवल मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। उत्पादों का स्वामित्व स्वतंत्र विक्रेताओं के पास रहता है और वे उन्हें मंच के माध्यम से बेचते हैं, जबकि ई-कॉमर्स कंपनी कमीशन एवं अन्य शुल्क अर्जित करती है।
- इन्वेंटरी-आधारित मॉडल में प्लेटफार्म स्वयं उत्पादों का स्वामी होता है, भंडार (इन्वेंटरी) का प्रबंधन करता है तथा ग्राहकों को सीधे बिक्री करता है।
- नए प्रावधान के तहत ऐसी कंपनियाँ भारतीय उत्पादों को सीधे खरीदकर, उनका भंडारण कर तथा अपनी इन्वेंटरी से उनका निर्यात कर सकेंगी।

महत्त्व

- यह कदम वैश्विक बाज़ारों तक अधिक एवं आसान पहुँच उपलब्ध कराकर निर्यात को बढ़ावा देगा।
- **अमेज़न के अनुसार,** इस नीति परिवर्तन से विशेष रूप से छोटे शहरों एवं कस्बों के निर्माताओं को विदेशी खरीदारों तक पहुँचने में सहायता मिलेगी।
- ई-कॉमर्स के इन्वेंटरी-आधारित मॉडल के लिए एफडीआई नियमों में ढील मिलने से भारत में अधिक वैश्विक ई-कॉमर्स कंपनियों के आने की संभावना है, क्योंकि उन्हें भारतीय उत्पादों की खरीद, भंडारण तथा विदेशी बाज़ारों तक उनकी आपूर्ति में अधिक लचीलापन मिलेगा।

शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

- **नेट एफडीआई** वह राशि है जो सकल एफडीआई में से विदेशी कंपनियों द्वारा भारत से अपने देश भेजी गई राशि (Repatriation) तथा भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश (Outward FDI) को घटाने के बाद प्राप्त होती है।
- **नेट एफडीआई = सकल एफडीआई अंतर्वाह – (विदेशी कंपनियों द्वारा धन की वापसी + भारतीय कंपनियों का विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश**)

प्रमुख घटक:

- **सकल एफडीआई अंतर्वाह (Gross FDI Inflows):** विदेशी संस्थाओं द्वारा देश में किया गया कुल नया निवेश। इसमें कारखानों की स्थापना, स्थानीय कंपनियों का अधिग्रहण तथा परिचालन का विस्तार शामिल है।
- **धन की वापसी एवं विनिवेश (Repatriation & Disinvestment**): विदेशी कंपनियों द्वारा अपने लाभ या पूँजी को अपने मूल देश भेजना। इसमें घरेलू कंपनियों की परिसंपत्तियों अथवा शेयरों की बिक्री भी शामिल होती है।
- **विदेशगामी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Outward FDI)**: भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी देशों में किया गया निवेश, जैसे अधिग्रहण करना अथवा सहायक कंपनियों की स्थापना करना।

नेट एफडीआई का महत्त्व

- **सकारात्मक नेट एफडीआई**: यह दर्शाता है कि देश में आने वाला विदेशी निवेश, बाहर जाने वाले निवेश से अधिक है। इसे सामान्यतः अर्थव्यवस्था के आकर्षण का संकेत माना जाता है।
- **नकारात्मक नेट एफडीआई**: यह संकेत दे सकता है कि पूँजी देश से बाहर जा रही है या भारतीय कंपनियाँ विदेशों में अधिक निवेश कर रही हैं, जबकि विदेशी निवेशक भारत में अपेक्षाकृत कम निवेश कर रहे हैं।
- यह हमेशा नकारात्मक संकेत नहीं होता, बल्कि कई बार यह अर्थव्यवस्था की परिपक्वता अथवा वैश्विक विस्तार की महत्त्वाकांक्षा को भी दर्शा सकता है।

स्रोत: TH

आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों (VDAs) के लिए एक नियामक ढाँचे की आवश्यकता

सन्दर्भ

- **प्रतिभूति बाज़ार संहिता (Securities Market Code - SMC**) पर अपनी रिपोर्ट में संसदीय वित्त संबंधी स्थायी समिति

ने क्रिप्टोकरेंसी जैसी आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों (VDAs) के लिए एक उपयुक्त नियामक ढाँचा विकसित करने का आग्रह किया है।

प्रमुख सिफारिशें

- समिति ने उल्लेख किया कि भारत में वर्तमान में आभासी डिजिटल परिसंपत्तियाँ (VDAs) एवं क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ कराधान के सीमित उद्देश्य को छोड़कर किसी व्यापक नियामक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती हैं।
- समिति ने नामित नियामक के पर्यवेक्षण में कार्य करने वाले मान्यता प्राप्त स्व-नियामक संगठनों (Self-Regulatory Organisations - SROs) के माध्यम से एक **अंतरिम नियामक व्यवस्था लागू करने की सिफारिश** की।
- इस ढाँचे में शासन, पारदर्शिता, सूचना प्रकटीकरण, निवेशक संरक्षण, शिकायत निवारण, निर्धारित आचार संहिताओं के अनुपालन तथा उपयुक्त नियामकीय निगरानी के न्यूनतम मानक निर्धारित किए जाने चाहिए।
- समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ एक ही श्रेणी में नहीं आतीं, इसलिए VDAs के लिए प्रतिभूतियों, व्युत्पन्नों (Derivatives) तथा अन्य श्रेणियों के अंतर्गत स्पष्ट एवं पृथक परिभाषाएँ निर्धारित की जानी चाहिए

डिजिटल परिसंपत्तियाँ एवं आभासी डिजिटल परिसंपत्तियाँ

- **परिसंपत्ति (Asset)** वह संसाधन है जिसका आर्थिक मूल्य होता है तथा जिसका स्वामित्व किसी व्यक्ति, संस्था अथवा देश के पास हो सकता है।
- परिसंपत्तियों का वर्गीकरण उनकी परिवर्तनीयता, भौतिक अस्तित्व तथा उपयोगिता के आधार पर किया जाता है।
- **डिजिटल परिसंपत्ति (Digital Asset)** ऐसी डिजिटल फ़ाइल है जिसका स्वामित्व किसी व्यक्ति या कंपनी के पास हो, जिसका आर्थिक मूल्य हो तथा जिसे खोजा, प्राप्त किया और उपयोग में लाया जा सके।
- **आभासी डिजिटल परिसंपत्तियाँ (VDAs) डिजिटल परिसंपत्तियों का एक उपसमूह** हैं, जिनका लेन-देन ब्लॉकचेन पर होता है। इनमें अद्वितीय डिजिटल टोकन (NFTs), क्रिप्टोकरेंसी तथा अन्य आभासी परिसंपत्तियाँ शामिल हैं।

VDAs का कराधान

- भारत में **आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) की कानूनी परिभाषा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(47A)** में दी गई है, जिसे वित्त अधिनियम, 2022 के माध्यम से जोड़ा गया।
- **केंद्रीय बजट 2022–23 में VDAs के कराधान का प्रावधान** किया गया, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी एवं अद्वितीय डिजिटल टोकन (NFTs) को शामिल किया गया।
- इन पर **30% आयकर तथा हस्तांतरण पर 1% स्रोत पर कर कटौती (TDS) लागू** होती है तथा हानि का समायोजन (Set-off) करने की अनुमति नहीं है।
- खनन (Mining), लेन-देन शुल्क तथा मंच (Platform) कमीशन से संबंधित व्यय को कर योग्य आय की गणना करते समय घटाया नहीं जा सकता।

आगे की राह

- भारत द्वारा **VDAs को संपत्ति एवं पूँजीगत परिसंपत्ति के रूप में मान्यता देना अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों के अनुरूप एक महत्त्वपूर्ण कदम है।**
- संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) अनेक क्रिप्टो परिसंपत्तियों को प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत करता है, जिससे वे वित्तीय बाज़ार विनियमों के अधीन आ जाती हैं।
- यह परिवर्तन आवश्यक है ताकि **VDAs किसी कानूनी अस्पष्टता (Legal Grey Area) में न रहें।**
- इन्हें संपत्ति के रूप में परिभाषित करने से भारत को आवश्यकता पड़ने पर **क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर कर लगाने, उनका विनियमन करने तथा उन्हें जब्त** करने की क्षमता प्राप्त होती है, जिससे उनके अवैध वित्तीय गतिविधियों में दुरुपयोग को रोका जा सके।
- इसके लिए एक **समन्वित नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता** है, जो वित्तीय विनियमन, उपभोक्ता अधिकारों तथा तकनीकी प्रगति को एकीकृत करते हुए संतुलित एवं सुरक्षित डिजिटल परिसंपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करे।

स्रोत: TH

विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति (SOFI) 2026

सन्दर्भ

- **विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति (SOFI) 2026 रिपोर्ट** में भारत में भूख कम होने की दिशा में हुई प्रगति को रेखांकित किया गया है, साथ ही किफायती एवं पौष्टिक आहार तक पहुँच सुनिश्चित करने में बनी हुई चुनौतियों को भी उजागर किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

वैश्विक परिदृश्य

- वर्ष 2025 में विश्व की अनुमानित 7.8% जनसंख्या भूख से प्रभावित थी, जो 2024 में 8.1% तथा 2022 में 8.6% थी।

भारतीय परिदृश्य

- **अल्पपोषित जनसंख्या (Undernourished Population):** वर्ष 2023–2025 के दौरान अल्पपोषित लोगों की संख्या घटकर 14.25 करोड़ (जनसंख्या का 9.8%) रह गई, जबकि 2004–2006 में यह 24.39 करोड़ (21.1%) थी।
- **स्वस्थ आहार की लागत**: वर्ष 2025 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वस्थ आहार की लागत PPP $4.11 तक पहुँच गई, जो 2017 की तुलना में लगभग 48% अधिक है।
- **वहन-क्षमता का संकट**: वर्ष 2025 में लगभग 52.01 करोड़ लोग (भारत की 35.5% जनसंख्या) स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं थे।

कुपोषण संकेतक:

- **बच्चों में अवरुद्ध वृद्धि (Stunting)** घटकर 32.9% रह गई।
- **क्षीणता (Wasting)** 18.7% दर्ज की गई।
- जबकि बाल्यावस्था में अधिक वजन, वयस्क मोटापा तथा महिलाओं में **रक्ताल्पता (एनीमिया) की दर** में वृद्धि जारी रही।

पोषण संबंधी चुनौतियों के कारण

- **पौष्टिक खाद्य पदार्थों की ऊँची कीमत**: फल, सब्जियाँ, दालें, दूध एवं प्रोटीन-समृद्ध खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें।
- **आय संबंधी सीमाएँ:** अनेक परिवार विविध एवं संतुलित आहार के बजाय कम कीमत वाले अधिक कैलोरीयुक्त मुख्य खाद्यान्नों को प्राथमिकता देते हैं।
- **आहार असंतुलन**: अनाज पर अत्यधिक निर्भरता तथा प्रोटीन एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्वों का अपर्याप्त सेवन।
- **मातृ पोषण की खराब स्थिति**: रक्ताल्पता की उच्च दर पीढ़ी-दर-पीढ़ी कुपोषण को बढ़ावा देती है।
- **क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताएँ**: जनजातीय क्षेत्रों, दूरस्थ क्षेत्रों तथा शहरी गरीबों में पोषण संबंधी जोखिम अधिक बने हुए हैं।
- **खाद्य उपभोग के बदलते स्वरूप**: अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बढ़ते उपभोग से मोटापे की समस्या बढ़ी है।

सरकारी पहल

- **मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (Mid-Day Meal Programme):** इसका उद्देश्य सरकारी, स्थानीय निकाय एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं विद्यालय में बने रहने की दर बढ़ाने के साथ-साथ उनके पोषण स्तर में सुधार करना है।
- **खाद्य सुदृढ़ीकरण (Food Fortification)**: सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सुदृढ़ीकृत चावल, गेहूँ का आटा एवं खाद्य तेलों को बढ़ावा दे रही है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013**: यह अधिनियम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की 75% तथा शहरी क्षेत्रों की 50% तक जनसंख्या को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है।
- **पोषण ट्रैकर (Poshan Tracker)**: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित यह एक महत्त्वपूर्ण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित शासन उपकरण है।
- यह **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** की विस्तारित तालिकाओं तथा दिन-आधारित ज़ेड-स्कोर का उपयोग करके बच्चों की लंबाई, वजन, लिंग एवं आयु के आधार पर अवरुद्ध वृद्धि, क्षीणता, कम वजन एवं मोटापे का गतिशील आकलन करता है।
- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना**: कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों को हुई कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई।
- **सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0**: इसमें पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएँ तथा किशोरी बालिका योजना जैसी प्रमुख योजनाएँ शामिल हैं, जो देश में कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु प्रत्यक्ष लक्षित हस्तक्षेप प्रदान करती हैं।

आगे की राह

- **फलों, सब्जियों, दालों, मोटे अनाज (श्रीअन्न) एवं दुग्ध उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति एवं उपभोग को बढ़ावा** दिया जाए तथा कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जाए।
- सार्वजनिक नीतियों का ध्यान केवल पर्याप्त कैलोरी उपलब्ध कराने पर नहीं, बल्कि **संतुलित, विविध एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्वों से भरपूर आहार तक पहुँच सुनिश्चित** करने पर होना चाहिए।
- रक्ताल्पता कम करने के लिए **आयरन-फोलिक अम्ल अनुपूरण, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा आहार विविधीकरण** को बढ़ावा दिया जाए।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों में **पोषण शिक्षा, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा** तथा अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के नियमन को शामिल किया जाए।

विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति (SOFI)

- यह रिपोर्ट **सतत विकास लक्ष्य (SDG)-2 (लक्ष्य 2.1 एवं 2.2)** — अर्थात् भूख, खाद्य असुरक्षा तथा सभी प्रकार के कुपोषण की समाप्ति की प्रगति की वार्षिक वैश्विक निगरानी रिपोर्ट है।

- इसे संयुक्त रूप से **संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO),** अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD), **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF), संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)** तथा **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

स्रोत: DTE

संक्षिप्त समाचार

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रारंभिक जीवन

- **23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मे** बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, दार्शनिक, शिक्षक तथा **स्वराज (स्व-शासन)** के सबसे प्रारंभिक एवं प्रबल समर्थकों में से एक थे।
- उन्होंने राष्ट्रीय चेतना एवं राजनीतिक जनजागरण को बढ़ावा देने के लिए दो प्रमुख सार्वजनिक उत्सवों यथा; **गणेश उत्सव (1893) तथा शिवाजी उत्सव (1895)** का आयोजन प्रारंभ किया।

राजनीतिक जीवन

- **1890 में तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए।**
- तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले के उदारवादी विचारों का विरोध किया। उन्हें बंगाल के **बिपिन चंद्र पाल** तथा पंजाब के **लाला लाजपत राय का समर्थन** प्राप्त था। यह त्रयी **"लाल-बाल-पाल"** के नाम से प्रसिद्ध हुई।
- इस त्रयी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध जनमत तैयार किया तथा स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का समर्थन किया।
- **1908 में तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर मांडले (बर्मा) में छह वर्ष के कारावास** की सज़ा दी गई।
- **1916** में उन्होंने **बेलगावी में होम रूल लीग की स्थापना** की, जिसका उद्देश्य राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना एवं स्वशासन के समर्थन में जनमत तैयार करना था।
- इसी वर्ष उन्होंने **मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता** किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू-मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना था।
- उन्हें **"लोकमान्य" की उपाधि** से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है **"जनता द्वारा अपने नेता के रूप में स्वीकार किया गया व्यक्ति"**। महात्मा गांधी ने उन्हें **"आधुनिक भारत का निर्माता"** कहा।

साहित्यिक योगदान

- उन्होंने दो साप्ताहिक पत्रों यथा; **केसरी (मराठी)** तथा **मराठा (अंग्रेज़ी)** का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिनमें उस समय की ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की जाती थी।

उनकी **प्रमुख कृतियाँ** हैं—

- द ओरियन या वेदों की प्राचीनता पर शोध (1893)
- दी आर्कटिक होम इन दी वेदाज (1903)
- मांडले कारागार में उन्होंने **"श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य"** की रचना की, जो भगवद्गीता का मौलिक एवं गहन व्याख्यान है।

स्रोत: PIB

चन्द्रशेखर आज़ाद

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चन्द्रशेखर आज़ाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

चन्द्रशेखर आज़ाद

- **23 जुलाई 1906 को वर्तमान मध्य प्रदेश** में जन्मे चन्द्रशेखर आज़ाद का बचपन अत्यंत साधारण एवं आर्थिक कठिनाइयों में बीता। वे किशोरावस्था में ही **असहयोग आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम से** जुड़ गए।
- विरोध-प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार होने पर उन्होंने अपना नाम **"आज़ाद"** बताया तथा जीवनभर अंग्रेज़ों के हाथ जीवित न पकड़े जाने की प्रतिज्ञा की।

स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

- वे **हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी (HRA)** में शामिल हुए, जिसे बाद में भगत सिंह के साथ मिलकर अधिक **क्रांतिकारी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA)** में परिवर्तित किया गया।
- वे **1925 के काकोरी ट्रेन कांड**, भारत के वायसराय की ट्रेन को उड़ाने के प्रयास तथा **1928 में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध** लेने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधिकारी **जेपी सॉन्डर्स की हत्या** जैसी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे।

- **1929 में केंद्रीय विधानसभा बम प्रकरण** तथा उसके बाद ब्रिटिश दमन अभियान के दौरान आज़ाद भूमिगत रहे और भगत सिंह को छुड़ाने के प्रयास करते रहे।

निधन एवं विरासत

- **27 फ़रवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क** में पुलिस से घिर जाने पर उन्होंने पहले अपने एक साथी को सुरक्षित निकलने में सहायता की, तीन पुलिसकर्मियों को मार गिराया और अंत में केवल एक गोली शेष रहने पर अंग्रेज़ों के हाथ जीवित पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली।
- वे मात्र **24 वर्ष की आयु में वीरगति** को प्राप्त हुए और अपने नाम तथा प्रतिज्ञा के अनुरूप अंत तक "आज़ाद" रहे।
- भारत की स्वतंत्रता के लिए उनका योगदान अत्यंत प्रेरणादायक है तथा आज भी युवाओं को साहस, दृढ़ निश्चय और न्याय के पक्ष में खड़े होने की प्रेरणा देता है।

स्रोत: AIR

अमेरिका द्वारा सऊदी अरब के साथ असैन्य परमाणु समझौते की घोषणा

सन्दर्भ

- **अमेरिका और सऊदी अरब** ने शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे सामान्यतः **123 समझौता** (123 Agreement) कहा जाता है।

परिचय

- इस समझौते का नाम अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 की धारा 123 के नाम पर रखा गया है।
- यह एक **विधिक रूप से बाध्यकारी समझौता** है, जिसे अमेरिका किसी अन्य देश के साथ महत्त्वपूर्ण परमाणु सहयोग स्थापित करने से पहले अनिवार्य रूप से करता है।
- ये समझौते शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु सामग्री, उपकरण एवं प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को सुगम बनाते हैं, साथ ही अंतरराष्ट्रीय परमाणु अप्रसार (Non-Proliferation) मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं।
- ये तकनीकी आदान-प्रदान, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सुरक्षा उपायों (Safeguards) से संबंधित विचार-विमर्श के लिए भी एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

भारत-अमेरिका 123 समझौता

- भारत और अमेरिका के बीच **123 समझौता**, जिसे भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता भी कहा जाता है, दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **परमाणु व्यापार**: यह समझौता अमेरिका को भारत को असैन्य ऊर्जा उद्देश्यों के लिए परमाणु ईंधन, प्रौद्योगिकी तथा परमाणु रिएक्टर उपलब्ध कराने की अनुमति देता है।
- **परमाणु अप्रसार की प्रतिबद्धता**: इसके बदले भारत ने अपने असैन्य एवं सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को अलग रखने तथा अपने असैन्य परमाणु रिएक्टरों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की सुरक्षा निगरानी (Safeguards) के अधीन रखने पर सहमति व्यक्त की।
- **सैन्य परमाणु कार्यक्रमों पर कोई प्रतिबंध नहीं:** परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के विपरीत, यह समझौता भारत को अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को त्यागने के लिए बाध्य नहीं करता, क्योंकि भारत NPT का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- **ऊर्जा एवं आर्थिक सहयोग**: इस समझौते का उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

स्रोत: IE

नि:शस्त्र एवं निरस्त्रीकरण आधारित शांति के लिए रोम घोषणा

सन्दर्भ

- नोबेल पुरस्कार विजेताओं, एआई वैज्ञानिकों, धार्मिक नेताओं तथा वैश्विक विशेषज्ञों के एक समूह ने नि:शस्त्र एवं निरस्त्रीकरण आधारित शांति के लिए रोम घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

नि:शस्त्र एवं निरस्त्रीकरण आधारित शांति के लिए रोम घोषणा क्या है?

- यह एक वैश्विक नैतिक घोषणा है, जो एआई के युग में परमाणु हथियारों पर मानव नियंत्रण बनाए रखने का आह्वान करती है।
- यह विशेष रूप से परमाणु हमले जैसे जीवन और मृत्यु से जुड़े निर्णयों को स्वायत्त एआई प्रणालियों को सौंपने के विरुद्ध चेतावनी देती है।
- यह घोषणा **पोप लियो XIV के परिपत्र "Magnifica Humanitas" से** प्रेरित है, जो तकनीकी अतिरेक से मानव गरिमा की रक्षा पर बल देता है।
- यद्यपि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी इसका उद्देश्य सैन्य अनुप्रयोगों में एआई के उपयोग को विनियमित करने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय संधि के लिए वैश्विक सहमति विकसित करना है।

घोषणा के सिद्धांत

- अगली हथियारों की दौड़ को रोकना।
- उत्तरदायी विकास।
- एआई का उत्तरदायी उपयोग।
- उत्तरदायी शासन।
- उत्तरदायी नेतृत्व।
- परमाणु निरस्त्रीकरण।

पाँच नैतिक एवं परिचालन सिद्धांत

- **अनिवार्य सार्थक मानव नियंत्रण**: परमाणु हथियारों के उपयोग अथवा तैनाती का अंतिम निर्णय किसी भी स्वचालित, एल्गोरिथ्मिक या एआई-आधारित प्रणाली द्वारा लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
- **डिजिटल कॉमन्स मॉडल**: जिन लोगों के पास एआई जैसी प्रौद्योगिकियों तक पहुँच या नियंत्रण नहीं है, वे उनके अनपेक्षित दुष्परिणामों से अधिक प्रभावित होने की संभावना रखते हैं।
- **उत्तरदायी विकास**: एआई विकसित करने वालों के लिए यह अनिवार्य हो कि वे अपने मॉडलों का मार्गदर्शन करने वाले नैतिक ढाँचों को सार्वजनिक करें तथा ऐसे पूर्णतः स्वायत्त एवं स्वयं-सुधार करने वाले एआई तंत्रों के विकास से बचें, जिनकी निगरानी, लेखा-परीक्षा या आवश्यकता पड़ने पर मानव द्वारा तत्काल रोक संभव न हो।
- **आंतरिक परमाणु शस्त्रागार संवेदनशीलता परीक्षण**: विश्व के परमाणु-संपन्न देशों से आग्रह किया गया है कि वे अपने परमाणु कमान एवं नियंत्रण तंत्र को एआई-आधारित साइबर छेड़छाड़ एवं अनधिकृत एल्गोरिथ्मिक हस्तक्षेप से सुरक्षित रखने हेतु कठोर आंतरिक समीक्षा करें।
- **समयबद्ध एवं सत्यापन योग्य निरस्त्रीकरण**: परमाणु हथियारों के पूर्ण, अपरिवर्तनीय एवं सत्यापन योग्य उन्मूलन के लिए सद्भावनापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं को पुनः प्रारंभ किया जाए।

स्रोत: TH

मिशन गोल्डन स्पाइस

चर्चा में क्यों ?

- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने **लाकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस** का शुभारंभ किया।

क्या आप जानते हैं?

- लाकाडोंग हल्दी **मेघालय के पश्चिम जयंतिया पहाड़ियों** में उगाई जाती है।
- अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण इसे वैश्विक स्तर पर पहचान प्राप्त है और यह भारत की सबसे विशिष्ट कृषि उपजों में से एक मानी जाती है।
- इसमें **7–10 प्रतिशत करक्यूमिन** पाया जाता है, जो **वैश्विक औसत से लगभग चार गुना अधिक** है। इसी कारण यह **विश्व की सर्वोत्तम हल्दी किस्मों** में से एक मानी जाती है तथा पोषण-औषधि (Nutraceutical) एवं निर्यात की दृष्टि से अत्यधिक संभावनाशील है।

मिशन गोल्डन स्पाइस

- यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने (USP) पहल के अंतर्गत शुरू की गई है, जिसकी कुल लागत 175 करोड़ रुपये से अधिक है।
- इसे **2025 से 2030** तक की **पाँच वर्षीय कार्ययोजना के रूप में दो चरणों** में लागू किया जाएगा।
- **प्रथम चरण**: मूल्य श्रृंखला (Value Chain) का सुदृढ़ीकरण।
- **द्वितीय चरण**: विस्तार एवं व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन (Expansion and Scale-up), ताकि मेघालय की भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्राप्त लाकाडोंग हल्दी को उसकी विशिष्ट पहचान (USP) के रूप में राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके।
- यह मिशन राज्य सरकार, अधिकारियों तथा किसानों द्वारा वर्षों से किए गए संस्थागत प्रयासों की मजबूत आधारशिला पर निर्मित है।

स्रोत: Air

बोरोफीन-आधारित हरित स्नेहक(Green Lubricant)

सन्दर्भ

- वैज्ञानिकों ने **बोरोफीन-आधारित जैव-स्नेहक (Bio-lubricant)** विकसित किया है, जो मशीनों में घर्षण एवं घिसाव को कम कर सकता है। यह उपलब्धि ऊर्जा दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है।

परिचय

- शोधकर्ताओं ने **अरंडी के तेल** (Castor Oil), जो एक जैव-अवक्रमणीय (Biodegradable) एवं नवीकरणीय (Renewable) स्नेहक है, **में बोरोफीन को एक योजक (Additive) के रूप में उपयोग किया।**
- **अरंडी के तेल में केवल 0.1% बोरोफीन** मिलाने से, शुद्ध तेल की तुलना में लगभग **42% घर्षण कम** हो गया।
- उपयोग के दौरान बोरोफीन **संपर्क सतहों पर ट्राइबोफिल्म (Tribofilm) अर्थात् घर्षण के कारण बनने वाली एक सुरक्षात्मक परत** का निर्माण करता है।

- यह **परत कतरनी तनाव (Shear Stress) को कम** करती है, घर्षण एवं घिसाव को न्यूनतम करती है तथा मशीनों की सतहों को क्षति से बचाती है।

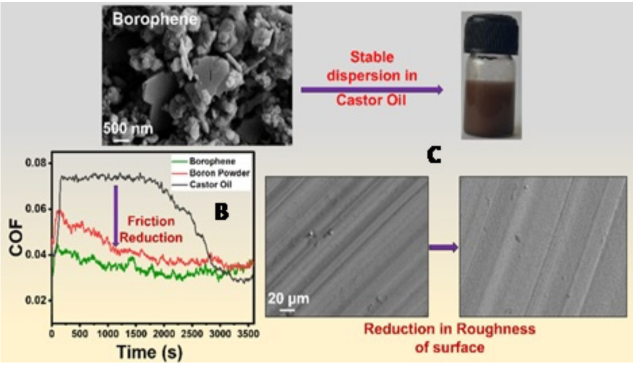

बोरोफीन क्या है?

- बोरोफीन (Borophene) एक **द्वि-आयामी (2D) नैनो-पदार्थ** है, जो **बोरॉन परमाणुओं की एकल परत** से बना होता है।
- इसे ग्रैफीन के बोरॉन समकक्ष के रूप में देखा जाता है, किंतु इसके **विद्युत एवं यांत्रिक गुण ग्रैफीन से भिन्न** होते हैं।
- यह हल्का, अत्यधिक विद्युत चालक, यांत्रिक रूप से अत्यंत मजबूत तथा **रासायनिक रूप से अत्यधिक सक्रिय पदार्थ** है।

स्रोत: PIB

कुटकी

सन्दर्भ

- हिमाचल प्रदेश के किसानों ने संकटग्रस्त हिमालयी औषधीय पौधे **कुटकी** की सतत खेती का सफल मॉडल विकसित किया है।

परिचय

- **पिक्रोराइज़ा कुरोआ (Picrorhiza kurroa)**, जिसे स्थानीय रूप से कुटकी कहा जाता है, एक **औषधीय जड़ी-बूटी** है, जिसका उपयोग अनेक औषधीय निर्माणों में किया जाता है।
- यह एक **उच्च-मूल्य वाली औषधीय वनस्पति** है, जो **हिमालय के अल्पाइन एवं उप-अल्पाइन क्षेत्रों (2,700–4,500 मीटर)** में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है।
- बताया जाता है कि इसका **उपयोग 2,000 से अधिक हर्बल औषधीय** निर्माणों में किया जाता है।

संरक्षण स्थिति

- कुटकी को वर्तमान में आईयूसीएन **रेड लिस्ट में इंडेन्जर्ड (Endangered) श्रेणी** में रखा गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पन्न खतरे को देखते हुए इसे वन्य जीव एवं वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय **(CITES) के परिशिष्ट-II** में शामिल किया गया है।
- इस सूची में शामिल प्रजातियों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार **केवल नियंत्रित परिस्थितियों में तथा निर्यात अनुमति-पत्र (Export Permit)** के आधार पर ही किया जा सकता है।
- **हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले** के किसानों द्वारा अपनाया गया **सतत खेती मॉडल** इस प्रजाति के संरक्षण के साथ-साथ पर्वतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में आशाजनक परिणाम दे रहा है।

स्रोत: TH

■■■■